28.02.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर उभयपक्ष को सुना गया।

वादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उपरोक्त अनवान में पक्षकारान द्वारा अपनी सहखातेदारी के विभाजन के वाद में प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम 2/4 गणेश पुत्र मालाराम को पक्षकार संयोजित किया गया, जबकि वादी वकील की लिपिकीय भूल से संयोजित पक्षकार के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2015 की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रतिवादी सं. 2/4 का सही एवं वास्तविक नाम भगवानाराम पुत्र मालाराम है। अतः न्यायालय द्वारा वादपत्र के अनुसरण में जारी डिकी पर्चा में वादी सं0 2 मालाराम के वारिसान के तोर पर सहवन से टंकित त्रुटि को सुधारा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त वाद में पक्षकार के तौर पर टंकित प्रतिवादी सं. 2/4 गणेश के स्थान पर भगवानाराम के नाम को सुधार करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने वादी वकील के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसरण में पत्रावली का पूर्वावलोकन किया गया तथा वादी वकील की दलील अनुसार पत्रावली पर प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13.09.2023 को अद्यतन किया। जिसके अनुसार तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम 2/4 के रूप में दिनांक 30.05.2015 को जारी निर्णय व डिकी में अंकित गणेश के स्थान पर वास्तविक नाम भगवानाराम को दुरूस्त किया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151–152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2015 में वादी वकील की लिपिकीय त्रुटि के आधार पर टंकित प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम 2/4 के रूप में दर्ज प्रविष्टि गणेश पुत्र मालाराम स्थान पर भगवानाराम पुत्र मालाराम पढ़ा जावे तथा इसी अनुरूप प्रा0 डिकी में भी उपरानुसार पठन किया जावे। तहसीलदार सिणधरी उक्त संशोधित टंकित प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व रेकर्ड में निर्णय एवं डिकी की पालना सुनिश्चित करें। निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.05.2015 के शेष निर्देश व प्रावद्यान यथावत रहेगी।

पत्रावली फैसल सुमार होकर पुनः उसी नम्बर पर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी